प्रेस विज्ञप्ति

कानपुर 9 फरवरी, 23 |

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टेड एकाउण्टेन्ट सोसाइटी, कानपुर इन्कम टैक्स बार एसोसियेशन एवं सेन्ट्रल रीजनल काउंसिल द्वारा सर पदमपत सिंहानिया आडिटोरियम में अपराह्न 3:30 बजे से टाक आन बजट 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष. अतुल कनोडिया ने मुख्य वक्ता सी.ए. डॉ० गिरीश आहूजा को शाल पहनाकर स्वागत किया एवं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों एवं आगन्तुकों का अभिवाद्र दिया।

मुख्य वक्ता सी.ए. डॉ० गिरीश आहूजा गिरीश आहूजा ने बताया कि 5 लाख रूपये से ऊपर के वार्षिक प्रीमियम की जीवन बीमा पालिसियों का भुगतान कर योग्य होगा, यदि कोई करदाता सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वस्तु खरीदता है या सेवायें लेता है तो उसे 15 दिन के अन्दर उसका भुगतान करना होगाए वर्ना उसका खर्चा अनुमन्य नहीं होगा। 15 दिन की यह अवधि अधिकतम 45 दिन की हो सकती है, यदि कोई अनुबन्ध किया गया है तो। इलेक्ट्रानिक गोल्ड रिसीप्ट एवं सोने का आपस में कन्वर्जन कैपिटल गेन के अन्दर टैक्सेबल नही होगा। परन्तु किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन के केस में मकान खरीदने पर धारा 54/54एफ की छूट केवल 10 करोड़ तक ही मान्य होगी। यदि किसी चैरिटेबुल ट्रस्ट ने लोन लेकर खर्च किया है तो लोन की वापसी केवल 5 साल तक ही मान्य होगी। इसके अतिरिक्त अपनी आय का 15 प्रतिशत कैरीफारवर्ड करते समय यदि किसी अन्य ट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया गया है तो उसको प्राप्त डोनेशन केवल 85 प्रतिशत माना जायेगा। धारा 44एडी/44एडीए के अन्तर्गत प्रेजेम्टिव टैक्सेशन का फायदा तभी मिलेगा, जबकि उसकी कुल प्राप्तियों का 95 प्रतिशत से ज्यादा नगद के अतिरिक्त है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री अक्षय गुप्ता, प्रशान्त रस्तोगी, अतुल मेहरोत्रा, दीप कुमार मिश्र, मुकुल टंडन, डॉ० जे. एन. गुप्ता, गुलशन धूपर, उमेश पाण्डेय, आदेश टंडन, राजीव मेहरोत्रा, अनिल अग्रवाल, अनिल सक्सेना, सन्तोष गुप्ता, शिवांश मेहरा, राकेश गर्ग एवं मर्चेन्ट्स चैम्बर के सचिव. महेन्द्र मोदी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सी.ए. अभिषेक पाण्डेय एवं धन्यवाद एड० शिवा मंगल जौहरी ने किया।